प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.08.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 105 पव्वे अवैध शराब बरामद।

दिनांक 26.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त महाराम सिंह पुत्र शिशुपाल मूल निवासी गाँव वली थाना टटीरी जिला बागपत हाल पता रामपार्क एक्स0 थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 105 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

महाराम सिंह पुत्र शिशुपाल मूल निवासी गाँव वली थाना टटीरी जिला बागपत हाल पता रामपार्क एक्स0 थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 105 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा गौकशी के अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर निशांदेही से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण लकडी का गोलाकार गुटका, लोहे का बडा दांव, छोटा दांव, 02 छुरे, लोहे का लम्बा सुआ, रस्सी, 02 पैकेट काली पॉलीथीन व इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद।

दिनांक 03.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा गौकशी करना तथा गौकशी की घटना करके फरार हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में नामित

अभियुक्तगण 1.अय्यूब पहलवान पुत्र हाजी जुम्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी बॉर्डर 2. छोटी पत्नी वकील मलिक निवासी मौहल्ला लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर 3. इमरान उर्फ तोतला पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौलाना आजाद कॉलोनी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त गुलफाम पुत्र वकील अहमद निवासी नाला रोड लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार करने हेतु इसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गयी जिस कारण अभियुक्त गुलफाम द्वारा जनपद बागपत में मा0 न्यायालय बागपत में आत्मसमर्पण किया गया जिसे मा0 न्यायालय द्वारा वारण्ट बनाकर जिला कारागार बागपत भेजा गया था।

आज दिनांक 27.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त गुलफाम पुत्र वकील अहमद निवासी नाला रोड लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद को पीसीआर पर लेकर उसकी निशांदेही से गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण लकडी का गोलाकार गुटका, लोहे का बडा दांव, छोटा दांव, 02 छुरे, लोहे का लम्बा सुआ, रस्सी, 02 पैकेट काली पॉलीथीन व इलेक्ट्रॉनिक कांटा को रेलवे लाइन के किनारे बन्द फाटक की ओर लोनी बॉर्डर क्षेत्र से बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त गुलफाम द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि आज मैंने जो सामान लकडी का गोलाकार गुटका, लोहे का बडा दांव, छोटा दांव, 02 छुरे, लोहे का लम्बा सुआ, रस्सी, 02 पैकेट काली पॉलीथीन व इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि बरामद कराया है, यह वही सामान है जिससे मैंने और मेरे अन्य साथियों ने मिलकर गौकशी की घटना में प्रयुक्त किया था।

अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम पुत्र वकील अहमद निवासी नाला रोड लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

लकडी का गोलाकार गुटका, लोहे का बडा दांव, छोटा दांव, 02 छुरे, लोहे का लम्बा सुआ, रस्सी, 02 पैकेट काली पॉलीथीन व इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में 01 अभियोग गौकशी का थाना चाँदी नगर जिला बागपत पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।